

सरकार की लापरवाही से चरमारा गई है स्कूल की व्यवस्था

फ़रीदाबाद। (म.मो.) शिक्षा के नाम पर सरकारी दावें शहर के बीचों बीच एनएच एक स्थित सरकारी हाई स्कूल की हालत को देख कर खोखले साबित हो रहे हैं। स्कूल में बच्चों के लिए न तो पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था है और न ही साफ माहौल। नगर निगम की लापरवाही के कारण शाम ढलते ही स्कूल का मैदान शराबियों और जुआरियों का अड्डा बन जाता है।

आजादी के पास पाकिस्तान से आए लोगों के लिए एनआईटी क्षेत्र को बसाते समय तत्कालीन सरकार ने अनेक सरकारी स्कूल भी बनाए थे। इन्हीं में शामिल है एनएच एक स्थित सरकारी हाई स्कूल।

स्कूल करीब पांच एकड़ जमीन पर बना हुआ है। लेकिन स्कूल की खस्ता हालत को देख कर इलाके के लोग अपने बच्चों को यहां भेजना मुनासिब नहीं समझते हैं। एनएच एक में रहने वाले तमाम लोगों के बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। स्कूल में फ्लिहाल आसपास स्थित झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग ही अपने बच्चों को मजबूरी में पढ़ने के लिए भेजते हैं। स्कूल में पहली से पांचवीं कक्षा तक 260 और छठी से दसवीं कक्षा तक 240 बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि स्कूल में किसी तरह की कमी है। बच्चों के बैठने के लिए 17 कमरें मौजूद हैं। प्रिंसीपल ओमप्रकाश

के अलावा पांच पीजीटी और नौ टीजीटी अध्यापक मौजूद हैं। कंप्यूटर की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर लैब भी मौजूद है।

इन तमाम संसाधनों के बावजूद इस स्कूल का गत वर्ष का परीक्षा परिणाम मात्र 37 प्रतिशत ही रहा था। हालांकि प्रिंसीपल का दावा है कि यह परिणाम एनआईटी क्षेत्र के अन्य स्कूलों के मुकाबले काफी बेहतर है। यहां क्लर्क का पद पिछले काफी समय से खाली पड़ा हुआ है। जिसके कारण अध्यापकों से क्लर्क का काम लिया जाता है। चपड़ासी का पद भी लम्बे असे से खाली है। इतने बड़े स्कूल में साफ सफाई और रखवाली के लिए मात्र एक कर्मचारी है। जिसके कारण सफाई

व्यवस्था पूरी तरह चरमाराई रहती है।

सफाई न होने के कारण बच्चों को गंदगी भरे माहौल में बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। शौचालय की हालत तो बंद से बदतर है। माली की तैनाती आज तक नहीं की गई है। ऐसे में लम्बा चौड़ा खेल का मैदान और पार्क की हालत किस तरह की होगी, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है।

स्कूल को बने करीब 64 साल बीत चुके हैं। लेकिन आज तक यहां पानी की सप्लाई की लाइन तक नहीं डाली गई। बच्चों के पीने के पीने की व्यवस्था करने के लिए व्यापारियों के सहयोग से सममर्सीबल पम्प लगाया हुआ है। यह पानी भी पीने के योग्य नहीं है। वर्ष 1953 में स्थापना के समय स्कूल आठवीं कक्षा तक था। 1981 में इसे अपग्रेड कर दसवीं कक्षा तक कर दिया गया था। लेकिन करीब 36 साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने इसे अपग्रेड कर 12 वीं कक्षा तक करने की कभी जरूरत महसूस नहीं की। जिसके कारण स्कूल से दसवीं पास करने वाले बच्चों को अगली कक्षा में दाखिला लेने के लिए

फिर इधर उधर भटकना पड़ता है।

अप्रैल 2015 में नगर निगम ने स्कूल के पीछे बने अवैध निर्माणों को गिराने के लिए तोड़फोड़ की थी। उस समय निगम ने अवैध निर्माणों के साथ साथ स्कूल की दीवार को भी गिरा दिया था। दीवार के निर्माण के लिये स्कूल की तरफ से एस्टीमेट बनवाने के बाद शिक्षा विभाग को कई पत्र लिखे जा चुके हैं लेकिन इसके बावजूद इस दीवार का निर्माण नहीं करवाया गया।

ऐसे में स्कूल के खाली मैदान में दिन के समय तो असामाजिक तत्व आते ही हैं लेकिन छुट्टी के बाद मैदान शराबियों और जुआरियों का अड्डा बन जाता है।

ऐसा नहीं है कि अधिकारियों और इलाके की भाजपा विधायक सीमा त्रिखा को स्कूल की इस हालत के बारे में पता नहीं है। लेकिन किसी की भी कमियों को दूर करवाने में रुचि नहीं है। निजी स्कूलों के कार्यक्रमों में आए दिन हिस्सा लेने वाली सीमा त्रिखा ने आज तक इस स्कूल की तरफ झांकने तक की जरूरत महसूस नहीं की।

कागजी साबित हो रहा है बीके का हाई रिस्क यूनिट

फ़रीदाबाद। (म.मो.) गंभीर गर्भवती महिलाओं के लिए बादशाह खान अस्पताल की ओपीडी में बनाया गया हाई रिस्क यूनिट पूरी तरह कागजी साबित हो रहा है। हाई रिस्क यूनिट का जो बोर्ड ओपीडी के कमरा नंबर-नौ में लगा था। वह अब यहां से उतार दिया गया है और प्रथम तल पर जो कक्ष अब हाई रिस्क यूनिट के लिए तैयार किया गया था, वहां जच्चा-बच्चा को दाखिल करके रखा जाता है। ऐसे में हाई रिस्क यूनिट बीके सिविल अस्पताल में मात्र कागजों में ही चल रही है। यानी गंभीर हालत में आने वाली महिलाओं की जांच और उनके इलाज की व्यवस्था का यहां दिखावा किया जा रहा है। 15 दिसंबर 2014 में जननी सुरक्षा कार्यक्रम के तहत बादशाह खान अस्पताल परिसर में मौजूद ओपीडी के कमरा नंबर नौ में हाई रिस्क यूनिट बनाई गई थी। गंभीर रूप से बीमार गर्भवती महिलाओं की जांच के बाद उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए इसे बनाया गया था। उस दौरान सरकार ने दिखावे के लिए इस हाई रिस्क यूनिट में चिकित्सक व दो स्टाफ व काउंसलर की नियुक्ति के दावे थे। लेकिन आज तक इस यूनिट में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला।

फिलहाल प्रथम तल पर हाई रिस्क के लिए तैयार कक्ष में मात्र बिस्तरों के कुछ नहीं है, यहां न तो चिकित्सक है और न ही स्टॉफ या काउंसलर। मात्र दिखावे के लिए कक्ष के बाहर पर्चे पर हाई रिस्क का बोर्ड लगा रखा है, जबकि असलियत में यहां जच्चा-बच्चा को दाखिल किया जा रहा है। ऐसे में हाई रिस्क गर्भवती की जांच यहां किस तरह से की जा रही है, अंदाजा लगाया जा सकता है।

दावे बड़े काम छोटे

हाई रिस्क यूनिट खोलने से पहले जिला सिविल सर्जन और हाई रिस्क इंचार्ज डॉ. संगीता अग्रवाल ने दावा किया था कि यहां से गंभीर गर्भवती महिला को दिल्ली रेफर नहीं किया जाएगा। गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों को इस परेशानी से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जिले में हाई रिस्क प्रेनेंसी यूनिट बनाने का फैसला लिया था। उस दौरान अस्पताल प्रबंधन ने महिला रोग विशेषज्ञ डॉ. संगीता अग्रवाल को इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी और आज भी यह हाई रिस्क यूनिट डॉ. संगीता अग्रवाल के अंडर में ही है। लेकिन यहां किए गए सभी दावे फेल साबित हो रहे हैं।

40 के बजाय सात बिस्तर

महिलाओं के लिए इस यूनिट को 40 बिस्तरों का बनाए जाने का दावा किया गया था। जिसमें पांच बिस्तर का विशेष देखभाल वाई बनाए जाने का निर्णय लिया गया था। लेकिन यहां अब इस यूनिट में मात्र सात बिस्तर ही मौजूद हैं।

अब तक नहीं दिखे लाल कार्ड

इस यूनिट को सभी स्वास्थ्य केन्द्रों से जोड़ने का निर्णय लिया गया था। जिसमें महिला की स्थिति ज्यादा गंभीर होने पर उसे लाल कार्ड बना कर स्वास्थ्य केन्द्र से दिया जाता। लाल कार्ड देने से यह पता चल जाती कि महिला की डिलीवरी के दौरान परेशानी आ सकती है और उसे खस देखभाल की जरूरत है। किसी भी जगह से गंभीर गर्भवती महिला की सूचना मिलने पर उसे बीके अस्पताल रेफर किया जा सकता था। यहीं नहीं एम्स दिल्ली से भी यूनिट को जोड़ने की बात कही गई थी, ताकि आवश्यकता होने पर ऑन काल विशेषज्ञों की सहायता यूनिट ले सके।

प्रसूति के दौरान लापरवाही के उदाहरण

12 सितम्बर 2014 को धौज के लदियापुर गांव में रहने वाले फारूख की पत्नी सितारा की डिलीवरी बीके सिविल अस्पताल के शौचालय में हुई।

इसी तरह से 22 अक्टूबर 2014 को धौज निवासी मुबारिक खान की पत्नी मुनफिरा की डिलीवरी भी शौचालय में हुई।

17 नवंबर 2015 को बल्लभगढ़ की सुभाष कालोनी में रहने वाले ओमप्रकाश की पत्नी सुमन की डिलीवरी भी अस्पताल के शौचालय में हुई।

22 नवंबर 2015 में राहुल कालोनी में रहने वाले श्यामनाथ की पत्नी सुमनबाई की डिलीवरी भी अस्पताल के शौचालय में हुई। 28 जून 2016 को पटेल नगर में रहने वाले राजू की पत्नी सोनिया की डिलीवरी भी अस्पताल के शौचालय में हुई।

26 सितम्बर 2014 को फतेहपुर चंदीला के रहने वाले मोहम्मद अफताब की पत्नी शबनम की डिलीवरी बीके सिविल अस्पताल की सीढ़ियों पर हुई।

27 मई 2017 को पलवल के रहने वाले विष्णु की पत्नी सोनवती की डिलीवरी स्ट्रेचर के आभाव में अस्पताल के गेट पर हुई।

29 जून 2017 को राहुल कालोनी में रहने वाली रेखा की डिलीवरी अस्पताल की ओपीडी में हुई।

रेरा का

का भरपूर दबाव था। लिहाजा, हरियाणा के जाने-माने जुगाडू आईएसएस, हुड्डों और चौटालों के भी चहेते रहे कृष्ण कुमार खंडेलवाल को गुडगांव-फ़रीदाबाद समेत एनसीआर के लिये बने हरेरा ट्यूबल का चेयरमैन बना दिया। इस पोस्ट में मलाई इतनी है कि खंडेलवाल ने इसके लिये समय पूर्व आईएसएस की नौकरी से निवृत्ति ले ली। यहां सर्वाधिक गौरतलब है कि खंडेलवाल के सगे भाई गुडगांव के एक बड़े बिल्डर ग्रुप के यहां एक उच्चतम पद पर हैं। कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी रफेल कांड और जय शाह घोटाले के बाद 'भ्रष्टाचार' शब्द का उच्चारण करना ही भूल गये। मनोहर लाल खट्टर भी उसी दिशा में तेज़ी से जाते प्रतीत हो रहे हैं। देखना है वे अपने पूर्ववर्ती चौटालों और हुड्डों की तरह स्वयं भी प्रॉपर्टी डीलर बनेंगे या इसी तरह निर्देशानुसार बिल्डरों को उपभोक्ता की कीमत पर मलाई खाने का मौका देते रहने तक ही सीमित रह सकेंगे?

एकाऊंटेंट पवन अकेला भ्रष्ट नहीं है

पेज एक का शेष

किसी पुलिसकर्मी का यात्रा भत्ता हो या मकान किराया भत्ता या वेतनवृद्धि या कोई पिछला बकाया, कोई भी बिल तब तक पास नहीं होता जब तक दफ्तर एकाऊंटेंट को रिश्वत न दी जाय। यह रिश्वत बाकायदा प्रतिशत के हिसाब से तयशुदा दरों पर पूरे अधिकार के साथ वसूली जाती है। इस बाबत करीब 2 वर्ष पूर्व 'मजदूर मोर्चा' में विस्तृत रिपोर्ट भी प्रकाशित की गयी थी। यह काम कोई अकेला पवन नहीं लगभग हर जिले में, और न केवल पुलिस में बल्कि हर महकमे में हो रहा है। कहने को पुलिस में जिला प्रमुख-एसपी-अथवा सीपी-कर्मचारियों की कल्याण मीटिंग में उनकी शिकायतें दुख-दर्द सुनते हैं, परन्तु करने के नाम पर करते-धरते कुछ नहीं। इसी के चलते कर्मचारी हालात से समझौता करते हैं।

विभागीय जांच के नाम पर अपनों को लूटते हैं अधिकारी

पेज एक का शेष

आत्मा राम (अब डीएसपी) व डीएसपी सत्या ने महाबीर से मांगे तीन लाख रुपये जो वह नहीं दे पाया। महाबीर तत्कालीन एसपी विजिलेंस योगेन्द्र नेहरा की कोठी पर जाकर उनसे मिला तो उन्होंने दफ्तर में आकर मिलने को कहा, जहां उन्होंने मिलने से ही इन्कार कर दिया।

विजिलेंस वालों को रिश्वत वह दे नहीं पाया। विभागीय कार्यवाही के नाम पर उसकी 3 साल की नौकरी कट गयी। अपील किसी ने सुनी नहीं। जगदीश प्रसाद के बाद इसी थाने में हरदीप हुड्डा व बाद में बाबू लाल बतौर एसएचओ तैनात हुए। इन लोगों ने भी महाबीर को इसी तरह के लपेटे में लेकर 5 लाख की मांग की थी। बाबू लाल ने तो महाबीर द्वारा कैंसिल (रद्द) की गयी उस एफआईआर के भी 15 हजार मांग लिये जिसमें खुद शिकायतकर्ता ने पूरी पंचायत की मौजूदगी में शपथपत्र देकर उसे रद्द करने की मांग की थी। इतना ही नहीं इसे रद्द करने का दिशा निर्देश एसीपी अनिल कुमार ने भी एक

मीटिंग के दौरान दिया था।

महाबीर ने अपने सुसाइड नोट में यह भी लिखा है कि जब उसके खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा था तो विकास एसआई ने उससे 5 लाख की मांग की थी। उसके इन्कार कर देने पर विकास ने उनके बड़े भाई साहब को इतना डराया कि उन्होंने जमीन गिरवी रख कर साढ़े तीन लाख रुपये उसे दे ही दिये।

पवन एकाऊंटेंट का अपना तरीका था उसे तंग करके उगाही करने का। भविष्य निधि से अपने पैसे निकलवाने व मकान किराया भत्ता लगाने के नाम पर पवन मोटी वसूली करता था। तीस हजार रुपये वसूलने के बाद ही उसने 6 माह का भत्ता एक साथ लगाया था।

उसके बाद वह ट्रैफिक में डीसीपी विनोद कौशिक के आधीन आ गया। विनोद ने जिन बसों से मंथली बांध रखी थी, उन्हीं चार बसों के चालान महाबीर ने अनजाने में काट दिये। जब डीसीपी को पता चला तो उसने महाबीर को हड़काया

और इस 'गल्ली' की क्षति पूर्ति हेतु एक लाख चालीस हजार की मांग की। इस मांग के पीछे तर्क यह था कि बसों के चालान होने के कारण उस माह की मंथली जो मारी गयी थी। उक्त राशि न देने पर डीसीपी ने उसकी नौकरी खा जाने की धमकी दी।

दरअसल महाबीर के साथ जो कुछ हो रहा था वह कोई नई अथवा अनहोनी बात नहीं थी। यही सब कुछ हर रोज लगभग हर छोटे पुलिसकर्मी के साथ होता है। कुछ लोग हालात से समझौता करके नौकरी पूरी कर लेते हैं तो कुछ लोग संघर्ष करके नौकरी करते हैं। महाबीर, शायद दोनों में से कोई सा भी रास्ता न अपना सका और उसने आत्महत्या का रास्ता चुना। कुल मिलाकर देखा जाय तो जिस विभाग के अफसर अपने ही आधीनस्थों को नहीं बख्ते वो जनता को क्या बखेंगे। इससे भी अधिक चिंताजनक बात तो यह है कि अधिकारी जितना बड़ा होता जाता है वह उतना ही बड़ा शोषक होता जाता है। अधिकांश छोटे कर्मचारी तो कमता ही अपने उच्चाधिकारियों के लिये हैं।

मोदीगिरी का एक और नमूना है बेल इन पैकिज

- गिरीश मालवीय

आर्थिक विषय हमारे रोजमर्रा के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं लेकिन ऐसे विषय क्यों चर्चा का बायस नहीं बनते यह बात समझ में नहीं आती।

पद्यावती विवाद के बारे में किसी भी आम आदमी से भी पूछ लेंगे वह इस बारे में आपको तुरंत दस बातें बता देगा, लेकिन आप किसी को कहेंगे कि सरकार ऐसा कानून लाने जा रही है जिससे उसके खून पसीने की कमाई जो बैंक में जमा है उस जमा पैसे को उसकी सुविधानुसार निकालने से बैंक इनकार कर सकता है, यह सुन कर हो सकता है कि भोचक्का रह जाए शायद थोड़ा गुस्सा भी हो जाए लेकिन अंततः उसका जबाब यह होगा जो सबके साथ होगा वही अपने साथ भी होगा, यानी देखा जाएगा।

खबर आई है कि नए बिल के तहत वित्त मंत्रालय के अधीन एक नया रेगुलेशन कॉरपोरेशन बनाया जाएगा। फिलहाल किसी भी बैंक के दिवालिया हो जाने के बाद उसे आर्थिक संकट से बाहर निकलने का काम रिजर्व बैंक करता है मगर अब नया कॉरपोरेशन यह काम करेगा।

फिलहाल बैंक के पैसे डूबने की स्थिति में केंद्र सरकार उसे दुबारा खड़ा करने के लिए बेलआउट पैकेज देती है मगर नए कानून के पास होने के बाद ऐसा नहीं होगा। अब बेल इन पैकेज की बात की जा रही है।

एक नई रेगुलेशन कॉरपोरेशन बनायी जाएगी जो यह तय करेगी कि डिपॉजिट पैसे में से ग्राहक कितने पैसे निकाल सकता है। यानी अब आपके पैसे पर नियंत्रण सीधे सरकार का होगा, रिजर्व बैंक की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी।

इस नए कानून के लागू होने के बाद केंद्र सरकार को तय करने का अधिकार मिल जाएगा कि संकट के समय ग्राहकों को कितने पैसे निकालने की छूट दी जाए और आम आदमी की बचत से उद्योगपतियों द्वारा डुबोये गए कर्ज को खत्म करने का काम किया जाए।

सरकार इतनी हिम्मत सिर्फ इसलिए ही दिखा पा रही है क्योंकि लोग आर्थिक विषयों पर स्पष्ट रूप से अपनी राय नहीं बना पा रहे हैं। यह इस लोकतंत्र का, ओर इस भारत देश में रहने वालों का दुर्भाग्य है।

अब साप्ताहिक मजदूर मोर्चा

जी हां, पाठकों की भारी मांग पर मजदूर मोर्चा अब 15 दिन के बजाय 7 दिन बाद मिलने लगेगा। अर्थात अब आपका यह अखबार पाक्षिक से साप्ताहिक होने जा रहा है। सुधी पाठकों को अब अगले धमाके के लिये लम्बा इन्तज़ार नहीं करना पड़ा करेगा। परिवर्तन की तिथि शीघ्र घोषित की जायेगी।

आशा है सभी पाठक सहयोग बनाये रखेंगे।

घर बैठे प्राप्त करें मजदूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहीं कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें:

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. आनंद मैगजीन सेंटर केसी रोड, एनएच-5
2. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड
3. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
4. 5 ई-18 नरेन्द्र बुक सेंटर - 9810229192
5. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे
6. राम खिलावन बल्लभगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने
7. हितेश ग्रीवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास
8. जितेन्द्र, बाटा सेंटर - 9971064207